क्रम संख्या–47

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 28 मार्च, 2006 ई0
चैत्र 07, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 709/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006
देहरादून, 28 मार्च, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक 2005 पर दिनांक 28 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 02, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 02, सन् 2006)

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो;

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2–उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) में, "एक उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4, 6, 16, 17 एवं 19 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 16, 17 एवं 19 में "उपाध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "दो उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी:–

"(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा, जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है, या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है। यदि अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी उपरोक्त कारणों से उपस्थित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

(5) यदि अध्यक्ष और दोनों उपाध्यक्षों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।"

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,

सचिव।

No. 709/Vidhayee & Sansadiya Karya/2006

Dated Dehradun, March 28, 2006

NOTIFICATION

Miscelleneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes [Third Amendment Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 02 of 2006].

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28 March, 2006.

THE UTTARANCHAL STATE COMMISSION FOR OTHER BACKWARD CLASSES (THIRD AMENDMENT) ACT, 2006

(UTTARANCHAL ACT No. 02 OF 2006)

AN

ACT

further to amend the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003.

Be it enacted by the Uttaranchal State Assembly in the Fifty Sixth Year of the Republic of India as follows--

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes (Third Amendment) Act, 2006. *Short title, Extend and Commencement*

(2) It extends to the hole State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

2. In the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003 (hereinafter referred to as the principal Act); in sub-section (3) of section 3 in place of the words "Vice-chairman" the word "Two Vice-chairmen" shall be substituted. *Amendment of Section 3*

3. In section 4, 6, 16, 17 and 19 of the principal Act, for the word; "Vice-chairman" the words, "Two Vice-chairmen" shall be substituted. *Amendment of Sections 4, 6, 16, 17 and 19*

4. In section 8 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted in place of sub-section (4) and (5) respectively:-- *Amendment of Section 8*

"(4) If the office of the Chairman falls vacant or if the chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the senior Vice-chairman. If senior Vice-chairman is also absent along with Chairman due to above reasons, in such circumstances junior Vice-chairman shall discharge the duties of the Chairman.

(5) If the offices of the Chairman and both the Vice-chairmen fall vacant, the duties of the office of the Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order direct."

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 3 विधायी / 174–2006–100+400 (कम्प्यूटर / रीजियो)।